न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10 / 2023 (2023 / 101) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामा पिता गोमा कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — प्रार्थी अधिवक्ता

1. जाकिर हुसैन —

दिनांक—20.06.2023

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 1017 में अंकित आराजी संख्या 4466 रकबा 0.36 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात मे आवागमन का एकमात्र कदीमी रास्ता बिलानाम गै.मु. सड़क आ.स. 4426 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 4480 की उत्तरी पाली से प्रवेष होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 4466 की उत्तरी पाली की बीचो—बीच तक 30 चौड़ाई में जाता है जिससे प्रार्थी अपने खेतो में वर्षो से आवागमन कर फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल आदि सहित जाता है। उक्त रास्ता मौके पर विपक्षी की आराजी में खुला हुआ है तथा प्रार्थी की आराजी में अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंन्त आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली डीएलसी दर जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम बोराणा में स्थित आराजी संख्या 4466 में आवागमन विद्यमान कदीमी 30 फीट चौड़ा रास्ता जो विपक्षी की आराजी संख्या 4480 में उत्तर से दक्षिण की ओर जो प्रार्थी की आराजी संख्या 4466 की उत्तरी पाली के बीचो—बीच पाली तक जाता है उक्त कदीमी विद्यमान रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी [illegible] 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार र[illegible] की गई जिसमें तह[illegible] रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम बोराणा के आराजी संख्या 4[illegible] रकबा 0.36 है0 भूमि बोराणा से करेड़ा जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है जिसमें आवागमन हेतु गै.मु. सड़क आराजी संख्या 4426 एवं प्रार्थी की भूमि के बीच बिलानाम आराजी संख्या 4480 में मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता जा रहा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। मौके पर रास्ता खुला हुआ है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में आराजी संख्या 4480 में होकर आवागमन किया जा रहा है। उक्त रास्ते में बिलानाम आराजी संख्या 4480 रकबा 0.42 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि यानि 100 वर्गमीटर रास्ते के उपयोग में आ रही है। उक्त रास्ता प्रार्थी 30 फीट चौड़ाई में चाहता है। उक्त भूमि की डीएलसी दर असिंचित पास 465910/—रूपये प्रति है0 है। वर्तमान व प्रस्तावित रास्ता एक ही है जिसे सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 4466 रकबा 0.36 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4480 रक़बा 0.42 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 465910/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 4659/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 9318/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहा... कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
...वाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10/2023 (2023/101) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामा पिता गोमा कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 4466 रकबा 0.36 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4480 रकबा 0.42 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 465910/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 4659/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 9318/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested